प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ0ग0) एवं पदेन सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//अधिसूचना//

गरियाबंद, दिनांक 09 जून 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

****

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थातः–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
गरियाबंद	मैनपुर	छैला	0.52 हेक्टेयर	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 25/07/20..... को (समय) ..11.00... बजे से 3.00... (स्थान)–....छैला..... ..... पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

(01) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण– छैला व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शाखा नहर निर्माण कार्य।
(02) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या– 02
(03) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या– निरंक ।
(04) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या– निरंक।
(05) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या– निरंक ।
(06) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? हॉ
(07) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? हॉ
(08) परियोजना की कुल लागत– 3145.95 लाख।
(09) परियोजना से होने वाला लाभ– कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
(10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय– निरंक।
(11) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक– निरंक।

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
मैनपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(छतर सिंह डेहरे)
कलेक्टर गरियाबंद
एवं पदेन सचिव, छ0ग0 शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with CamScanner